Registration no: (21111342021102409391O) Date: (24-10-2024) Valid till: (24-10-2027)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PURNIA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

प्रधान / व्यवस्थापक / प्रबंधक
GYAN BHARTI PUBLIC SCHOOL
BITHNAULI, K. NAGAR

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तावित की का प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 12-04-2024 और उसके क्रम में आपसे किये गऐ पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विस्तरित समिति के बैठक दिनांक : 24-10-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय GYAN BHARTI PUBLIC SCHOOL, BITHNAULI, K. NAGAR, PURNEA, 854301 को कक्षा 1 से 8 तक संचालित हेतु तीन वर्ष 24-10-2024 से 24-10-2027 अवधि के लिए औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. स्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमउोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उल्लख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावका का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इससे से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :
   (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होते तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा माममिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   (iii) किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
   (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

Attested
Secretary
Gyan Bharti Education Society
Welfare And Charitable Trust

Gyan Bharti Public School
Bithnauli, K. Nagar, Purnea

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 251 डिसमिल

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 60 डिसमिल

(III) शौच के मैदान का क्षेत्र :- SEPARATE TOILETS FOR BOYS AND GIRLS, DRINKING RO WATER, PLAYGROUND, FIRE EXTINGUISHER, SEPARATE URINALS FOR BOYS AND GIRLS, CCTV, ETC.

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 10

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 1

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 9 , Girls 4

(VII) पेयजल की सुविधा :- 10

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच ( ) :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- ATLAS, GLOBE, WORLD MAP, ASIA MAP, INDIA MAP, ALPHABET CHART, FRUITS CHART, VEGETABLE CHART, PLANT CHART, HUMAN BODY CHART, ETC. , FOOTBALL, CRICKET KIT, CAROM BOARD, LUDO, CHESS, BADMINTON, ETC. , (Y , 350 , NewsPaper MagaZine:- 70)

11. कोई भी अपरसीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय से लागू कानून के तहत गठित किसी पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षय एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरण तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [21111342021102409391O, 2024] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उल्लेख किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के नियमन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए

19. प्राथमिक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, पूर्णियां

Glen Bharti Public School * Bithnauli, K. Nagar, Purnea

विश्वासभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PURNIA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार